न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 52 / 2018

RCMS Case No. 2018 / 00076

प्रार्थी :–	**बनाम**	**अप्रार्थी:–**
सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर		1. केली पत्नी प्रहलाद लखारा नावारिश फौत 2. मनोहरसिंह पुत्र जगदीशसिंह जाति राजपूत निवासी बाबरा तहसील रायपुर

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थी अनुपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांक 07.06.2018

प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ने नोटिस लेने से इन्कार किया, जो तामील की परिभाषा में आने से तामील माना जाता है। अप्रार्थी 2 अनुपस्थित। अतः अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाता है। सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम कोलपुरा तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 2623 / 16 रकबा 5.00 बीघा किस्म बा0दो0 की भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी भूमि है। उक्त इन्द्राज अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटन होने के पश्चात जरिये नामान्तरकरण संख्या 1460 के राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है। इस भूमि कि किस्म गै0मु0 बाली थी, जिसका आवंटन नही किया जा सकता है। अतः ग्राम कोलपुरा के नामान्तरकरण संख्या 1460 को निरस्त कराने हेतु धारा 82 के तहत माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष रेफरेन्स कराया जावे।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम कोलपुरा तहसील रायपुर के हाल खसरा नम्बर 2623 / 16 रकबा 5.00 बीघार किस्म बा0दो0 की भूमि अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटित हुई थी तथा उसके पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा यह भूमि अप्रार्थी संख्या 2 को बेचान की गई। उक्त भूमि के मूल खसरा नम्बर 2623 गै0मु0 बाली है। उक्त भूमि उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा आवंटन करने से नामान्तरकरण संख्या 1460 के जरिये अप्रार्थी संख्या 1 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है। चूंकि उक्त भूमि के मूल खसरा नम्बर 2623 की किस्म गै0मु0 वाली थी तथा

अति. जिला कलेक्टर, पाली

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत नदी/नाला/वाला आदि की भूमि आवंटन नियमन से प्रतिबन्धित है तथा अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की अनुपालना में भी नदी/नाला/वाला की भूमि का आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में हुआ आंवटन नियमो के अनुकूल नही कहा जा सकता है, साथ ही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 में प्रदत्त प्रावधानों के विपरीत हैं। माननीय उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में भूमि की पूर्व स्थिति को बहाल कर गै.मु. बाली दर्ज की जानी हैं। अतः उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन तथा उक्त आवंटन की पालना में दायर किया गया नामान्तरकरण विधि के विरूद्व होने से निरस्त योग्य है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, रायपुर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थी के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा जारी आवंटन दिनांक 20.10.1976 एवं उसकी पालना भरे गये ग्राम कोलपुरा तहसील रायपुर के नामान्तरकरण संख्या 1460 को निरस्त करावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति.जिला कलेक्टर,पाली